अध्याय-16

शैक्षणिक पिछड़ापन को समाप्त करने के प्रभावी उपाय

शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण : मात्रा एवं अवधि :-

मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विज्ञान, कला, मेडिकल, इंजीनियरिंग, व्हेटेनरी, जूनियर टेक्नीकल स्कूल, विधि महाविद्यालयों में तथा पोलीटेक्नीक बेसिक टेकेनिक्स स्कूल तथा अन्य उच्च टेकनिक्स संस्थानों व उच्च शिक्षा क्षेत्र के अन्य संस्थाओं में आज तक किसी प्रकार के स्थान आरक्षित नहीं हैं और न कभी थे।

मेडिकल, आयुर्वेदिक, व्हेटेनरी, इंजीनियरिंग कालेजों, उच्च टेक्नीकल संस्थाओं, पोलीटेकनिक, बेसिक टेकनिक स्कूल, कृषि महाविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए सीमित स्थान होते हैं। "पिछड़े वर्गों" के छात्रों को भी उक्त शिक्षण संस्थाओं में पर्याप्त प्रवेश मिल सके इसलिए इन वर्गों के लिए जिनको हमारे आयोग ने पिछड़ी जातियों/ वर्गों के रूप में रेखांकित करके वर्गीकरण किया है, को उक्त शिक्षण कालेजों, संस्थाओं तथा संस्थानों में स्थान आरक्षित होना चाहिए।

पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों में कुछ व्यक्तियों व संगठनों ने 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने की मांग की है।

मध्य प्रदेश में कुल मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, कृषि महाविद्यालय, व्हेटनरी कालेज, पालीटेकनिक स्कूल है, लेकिन इनमें "पिछड़े वर्गों" के छात्रों की संख्या प्रायः नगण्य है। पिछड़े वर्गों में प्रस्तावित तथा राज्य शासन द्वारा कुछ जिनको पिछड़े वर्गों की जातियों/ वर्गों के रूप में गत वर्ष सन् 1982 में मान्यता प्रदान की गई है, उनके आंकड़े मंगाए जाने हेतु आयोग द्वारा परिपत्र जारी किए गए। मेडिकल कालेजों के डीन को भी पत्र लिखे गए। इंजीनियरिंग कालेजों के प्राचार्यों से पत्र लिखकर सूचना भेजने हेतु निवेदन किया गया लेकिन संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

आयोग ने पिछड़े वर्गों की जातियों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी गई प्रश्नावली, ज्ञापन तथा मौखिक साक्ष्य का अध्ययन किया। भ्रमण के दौरान आयोग ने व्यक्तिगत तौर पर भी जानकारी एकत्र

करने का प्रयास किया, क्योंकि प्रत्येक जिले में मेडिकल व इंजीनियरिंग कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम होती है तथा प्रवेश पाने के बाद सफल होने वालों की संख्या भी कम होती है। शासकीय अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति का पता लगाने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। इसी तरह जिले में कार्यरत इंजीनियरों का पता लगाना भी कठिन नहीं होता। मवेशी अस्पताल भी बहुत कम होते हैं।

आयोग को व्यक्तिगत जानकारी भी है कि उक्त शिक्षण कालेजों, संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। पिछड़े वर्गों में डाक्टर्स, इंजीनियर्स, व्हेटनरी सर्जन्स, कृषि स्नातकों, सब इंजीनियर्स, वकीलों इत्यादि की भी मध्य प्रदेश में बहुत कमी है। इसका प्रमुख कारण है, इन वर्गों को उक्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश न मिल पाना। अध्ययन के लिए आवश्यक धन व साधनों की कमी।

आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पिछड़े वर्गों के छात्रों को तमाम शिक्षा सुविधाएं प्राप्त हैं। तब भी वह अपने ग्रामीण परिवेश व वातावरण के कारण "उन्नत वर्गों" के समान प्रतियोगिता में नहीं जा सकते।

आयोग द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अथवा शासन से वित्तीय अनुदान प्राप्त करके चलने वाले, मेडिकल, आयुर्वेदिक, व्हेटनरी महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों, कृषि महाविद्यालयों, पालीटेकनिक स्कूल, विज्ञान महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, सभी वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यवसायिक संस्थानों में "अन्य पिछड़े वर्गों" के छात्रों के लिए स्थान आरक्षित किए जाय।

यह आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) सहपठित अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत किया जायगा। इसकी विस्तृत विवेचना पिछले अध्यायों में की जा चुकी है। भारत वर्ष में सरकार अब तक सबसे बड़ा नियोक्ता और सभी प्रकार आश्रय प्रदान करने वाली सबसे बड़ी व्यवस्थापक रही है। राज्य के अधीन नौकरी और भिन्न-भिन्न तकनीकी तथा व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश के द्वारा भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय जीवन में भाग लेने के दो महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। सामाजिक असमानता पर आधारित हमारे समाज के लिए अत्यंत दुख की बात है कि राज्य के अधीन 90% उच्च पदों तथा चिकित्सा और इंजीनियरिंग कालेजों में सीटों को केवल 15 प्रतिशत जनसंख्या वाली उच्च जातियों से भरा जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(4) तथा संविधान में प्रथम संशोधन करके अनुच्छेद 15(4), जोड़कर इस स्थिति के उपचार के रूप में

पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जिसके द्वारा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए पदों को आरक्षित करने तथा तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में स्थान आरक्षित किए जाने के अधिकार राज्य को दिए गए। आरक्षण नीति को मद्रास में क्रमशः मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों के उन दो ब्राह्मण उम्मीदवारों द्वारा पहली मुख्य चुनौती दी गई थी, जो उच्च अंकों के बावजूद उनमें दाखिला नहीं पा सके थे। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य (ए.आई. आर. 1963 सु. को. 649) ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस निर्णय में पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली सुविधाओं के विरुद्ध उच्च जातियों व वर्गों के द्वारा कानूनी संघर्ष की शुरुआत का शंखनाद है जिसमें अभी अंतिम गोला दागा जाना है।

उक्त शिक्षण संस्थाओं में सीटों के आरक्षण का क्या प्रतिशत हो इसके लिए "बालाजी बनाम मैसूर राज्य" केरल राज्य बनाम एन.एम. टामस (ए.आई.आर. 1976 सु. को 490) "अ.भा. शोषित कर्मचारी बनाम भारत संघ", (ए.आई. आर. 1981 सु. को 298) "मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम कुमारी निवेदिता जैन एवं अन्य" (ए.आई.आर. 1981 सु. को 2045) एवं "सुभाषिनी बनाम मैसूर राज्य" (ए.आई.आर. 1966 मैसूर पृष्ठ 40 के मुकदमे में अभिनिर्धारित सिद्धांतों को आयोग ने ध्यान में रखा है। इन मामलों में अभि निर्धारित सिद्धांतों की विवेचना पिछले अध्यायों में की गई है। इससे संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्णय बालाजी के प्रकरण में निम्न है :-

"यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस विवादक आदेश के द्वारा राज्य ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण प्रदान किया है। यह सुविदित है कि राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समस्त वर्गों में चेतना आई है, और वे लोग अपने बच्चों को विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा देने की इच्छा रखते हैं। विश्वविद्यालयों को इस मांग की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जबकि यह आवश्यक है कि वर्ष, प्रति वर्ष, उच्च शिक्षा की मांग को पूरा करना तथा व्यवस्थित करना आवश्यक है, लेकिन यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि लोगों की मांगों को देखते हुए, उच्च शिक्षा का स्तर विश्वविद्यालय में गिर न जाय। शिक्षा की अत्यधिक मांग को, अधिक से अधिक शिक्षण संस्थाएं, प्राविधिक स्कूल, पोली टेकनिक, खोलकर पूरी की जा सकती है लेकिन इस आधार पर किसी भी स्थानों को समाज के कमजोर वर्गों से भरा जाना है, योग्य एवं कुशल विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालयों के दरवाजे बंद करना राष्ट्रहित के प्रतिकूल होगा।

इस सम्बन्ध में "एम.आर. बालाजी और अन्य बनाम मैसूर राज्य" वाले मामले में न्यायाधिपति गजेंद्रगड़ कर (जैसे कि वे उस समय थे) के मत के प्रति ध्यान आकृष्ट करना महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि अनुच्छेद 15(4) के संदर्भ में व्यक्त किया गया है, "जब कि अनुच्छेद 15 (4)

पिछड़े वर्गों का अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबन्ध करता है कि इस बात की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह उपबन्ध जो कि प्राधिकृत है, विशेष उपबन्ध है वह ऐसा उपबन्ध नहीं है, जो कि स्वरूप में इस प्रकार अनन्य है कि उन वर्गों की उन्नति को देखरेख करते हुए, राज्य द्वारा शेष समाज की उन्नति की पूरी तरह से उपेक्षा करना न्यायोचित होगा। यह बात इसलिए है, क्योंकि समाज के कमजोर तत्वों की उन्नति को बढ़ावा देकर सामूहिक रूप से समाज के हितों का साधन किया जाता है और यही बात अनुच्छेद 15 (4) के अधीन विशेष उपबन्ध किए जाने के लिए प्राधिकृत की गई है, शेष समाज को पूरी तरह से अपवर्जित करता है। यह उपधारणा करनी बिल्कुल ही अयुक्तियुक्त है कि अनुच्छेद 15(4) को अधिनियमित करने में संसद का अनु. जातियों और अनु. जनजातियों की उन्नति का सम्बन्ध है, वहां ऐसे वर्गो की जो कि शेष समाज गठित करते हैं, मूल अधिकारों की तरह से तथा अत्यधिक रूप से उपेक्षा करनी पड़ती है।

"......... जब राज्य अनुच्छेद 15(4) में विर्निर्दिष्ट समाज के कमजोर वर्गों की प्रगति के लिए कोई विशेष उपबन्ध करता है, तो राज्य को अपने इस कृत्य के लिए सिद्धांत और औचित्य को ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे कमजोर वर्गों के विकास के लिए युक्तियुक्त और उदारतापूर्ण कदम उठाने पड़ते हैं। इस समस्या का विस्तार कहां तक हो, इसकी मापतौल की जानी चाहिए। अपने ध्यान में पूरे समाज की आवश्यकताओं को रखना चाहिए और ऐसा सूत्र (फार्मूला) निकालना चाहिए जिससे अनेक सुसंगत तथ्यों के बीच युक्तियुक्त संतुलन बनाया जा सके।

विद्यालयों में प्रवेश देने के सम्बन्ध में कोटा के आरक्षण के अनुदान पर विचार करते समय इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मोटे तौर पर आरक्षण के लिए यदि कोई विशेष उपबन्ध किया जाता है, तो भी वह 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए और 50 प्रतिशत से कितना कम होना चाहिए यह बात उस मामले की परिस्थितियों के संदर्भ में तय की जानी चाहिए। न्यायालय ने 68 प्रतिशत आरक्षण को संवैधानिक रूप से अवैध माना और उसे विखंडित कर दिया।"

"एम. आर. बालाजी" के मामले का अनुच्छेद 15 (4) और 29 (2) के निर्वचन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षा संस्थाओं में किए जाने वाले आरक्षणों की युक्तियुक्तता के निर्बधंन द्वारा परिसीमित किया गया।

"ए. पैरिया करूप्पन बनाम तमिलनाडू राज्य" (ए.आई.आर. 1971 सु. को. 2303) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "इस दलील के लिए कोई आधार नहीं है कि पिछड़े वर्गों के लिए किया गया आरक्षण अत्यधिक है। हमें यह नहीं बताया गया कि यह

अत्यधिक कैसे है। निःसंदेह हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि योग्य और सक्षम छात्रों के लिए प्रवेश द्वार बंद कर देना राष्ट्र के तत्कालिक हित में नहीं है किन्तु राष्ट्र के तात्कालिक लाभों और लम्बी अवधि के हितों में भी समन्वय आवश्यक है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस देश में लोगों के अनेक वर्ग ऐसे हैं जो बिना सहायता के राष्ट्र के संपन्न वर्गों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। ऐतिहासिक कारणों की वजह से प्राप्त किए गए लाभों को मूल अधिकारों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।" दीर्घकालीन हित को ध्यान में रखते हुए यदि पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने में सहायता दी जाए और वे लोगों के प्रगतिशील वर्गों के साथ अपना स्थान बना सकें तो इससे राष्ट्र को सर्वाधिक हित होगा।" यही कारण है कि बालाजी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के लिए कुल आरक्षण सामान्यतः उपलब्ध सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने "केरल राज्य बनाम एन. एम. टामस" (ए.आई. आर. 1976 सु. को 490) के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि आरक्षण की प्रतिशतता 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नियम सावधानी बरतने के लिए है और यह सभी प्रवर्गों को लागू नहीं होता है। न्यायाधिपति मुर्तजा फजल अली ने कहा है कि, "इससे यह अभिप्रेत है कि आरक्षण अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए तथा इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनुच्छेद 16(1) का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण करने संबंधी सरकार की शक्ति पर कोई सीमा नहीं लगाई गई। चूंकि खण्ड (4) संविधान के अनुच्छेद 16 का भाग है इसलिए यह स्पष्ट है कि राज्य को अत्यधिक आरक्षण करने में इस प्रकार विलिन नहीं होने दिया जा सकता, जिससे कि अनुच्छेद 16(1) में अन्तर्विष्ट नीति ही समाप्त हो जाए। यह बात कि अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर उपर्युक्त आरक्षण कौन सा होगा प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होगी और इसके संबंध में कोई भी निश्चित नियम अधिकाधिक नहीं किया जा सकता और ना ही इस मामले के संबंध में कोई ऐसा गणितीय फार्मूला ही बनाया जा सकता है जिससे कि सभी मामलों में उसका पालन किया जा सके। निस्संदेह इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित मामलों में यह अधिकथित किया गया है कि आरक्षण की प्रतिशतता 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने उन नजीरों का अर्थान्वयन किया है, वह नियम सावधानी बरतने के लिए है और वह सभी प्रवर्गों को लागू नहीं होता है। (उदाहरणार्थ) यदि यह मान लिया जाए कि किसी राज्य में नागरिकों के अनेक पिछड़े हुए वर्ग हैं जो जनसंख्या के 80 प्रतिशत है और सरकार उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से उनके लिए 80 प्रतिशत आरक्षण करती है तो क्या यह कहा जा सकता है कि आरक्षण की प्रतिशतता अनुचित है और वह अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) की अनुज्ञेय सीमाओं का अतिक्रमण करती है? इसका उत्तर आवश्यक रूप से नकारात्मक ही होना चाहिए। इस

उपबन्ध का मुख्य उद्देश्य अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को पर्याप्त बनाने के लिए कदम उठाना है।

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में $68\frac{1}{2}$ प्रतिशत आरक्षण को वैध करार दिया है और बालाजी के मामले में निर्धारित इस सिद्धांत का कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए उलट दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने "अ. भा. शोषित कर्मचारी बनाम भारत संघ" (ए.आई.आर. 1981 सु. को 298) के मामले में भी, "बालाजी बनाम मैसूर राज्य" के मामले में अधिनिर्धारित सिद्धांत को कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है, रद्द करके सिद्धांत दूसरा निर्धारित किया है इस सम्बन्ध में न्यायाधिपति कृष्ण अय्यर ने निम्न विचार व्यक्त किया है, "यदि कुछ अधिक नियुक्तियां हो जाती है तो उनसे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि गणितीय निश्चितार्थता मानवीय कार्यकलापों में कठिन होती है।"

न्यायाधिपति चिनप्पा रेड्डी ने इसी मामले में कहा कि "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के पक्ष में आरक्षण या अधिमानी व्यवहार के लिए कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है।......

50 प्रतिशत के नियम के बारे में कोई कठोरता नहीं है। न्यायाधिपतियों द्वारा ऐसा नियम केवल सुविधाजनक मार्गदर्शन के लिए अधिकाधिक किया गया है। प्रत्येक मामले का विनिश्चय अधिमानी व्यवहार के किसी विशेष नियम को लागू करके प्राप्त वर्तमान व्यवहारिक परिणाम के प्रति निर्देश से किया जाना चाहिए और न कि उक्त काल्पनिक परिणामों के प्रति निर्देश से विनिश्चय किया जाना चाहिए जो भविष्य में नियम को लागू करके प्राप्त हो सकते हैं। इस निर्णय के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने 65 प्रतिशत आरक्षण को वैध माना है।

आरक्षण संबंधी "मात्रा बालाजी बनाम मैसूर राज्य" के मामले में लगाई सीमा बन्दी अनुच्छेद 15 (4) एवं अनुच्छेद 16(4) के अलावा, गैर पिछड़े वर्गों की कुछ सामान्य श्रेणियों के लिए किए गए आरक्षण लागू नहीं होगी। इस संबंध में "सुभाषिणी बनाम मैसूर राज्य" (ए.आई.आर. 1966 पृष्ठ 40 मैसूर राज्य) के मामले में न्यायमूर्ति हेगड़े ने निम्न सिद्धांत अभिनिर्धारित किया है, यह तर्क दिया गया कि सभी ग्रुपों के लिए दिए गए कुल आरक्षण "बालाजी बनाम मैसूर राज्य" सीमा के 50 प्रतिशत से अधिक थे। इस तर्क को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों को आरक्षण की वैधता का निर्णय अनुच्छेद 15(4) में निर्धारित शर्तो के अनुसार किया जाना चाहिए। सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जन जातियों से ऊपर वर्गों के लिए किए गए आरक्षण की वैधता का निर्णय अनुच्छेद 14 की अपेक्षाओं के आधार पर किया जाना था। इस प्रकार आरक्षणों को अनुच्छेद 15 (4) के अधीन किए गए आरक्षणों के साथ मिला नहीं देना चाहिए। "बालाजी" के मामले में निर्धारित उच्चतर सीमा केवल उसी आरक्षण पर लागू होती है जो अनुच्छेद 15(4) के अधीन की गई है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई आरक्षण नहीं आता जो अन्यथा किया गया हो।

हम पिछले अध्याय में अन्य राज्यों में पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु किए गए प्रयासों की जानकारी में यह विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि तामिलनाडू राज्य में निम्न आरक्षण व्यवस्था लागू है :-

1.	पिछड़े वर्ग	50 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जाति	15 प्रतिशत
3.	अनुसूचित जन जाति	3 प्रतिशत
	योग	68 प्रतिशत

कर्नाटक राज्य में निम्न आरक्षण व्यवस्था लागू है।

1.	अन्य पिछड़े वर्ग	48 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जाति	15 प्रतिशत
3.	अनुसूचित जन जाति	3 प्रतिशत
	योग	66 प्रतिशत

मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों की हालत बहुत ही दयनीय है। इनका प्रतिनिधित्व मेडिकल, इंजीनियरिंग, व्हेटनरी, आयुर्वेदिक, कृषि महाविद्यालयों, तथा अन्य तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं में नगण्य है। अधिकांश पिछड़ी जातियों/ वर्गों के छात्रों की संख्या उक्त महाविद्यालयों में शून्य है। इस प्रदेश की विशेष परिस्थिति है, इसलिए आयोग तमिलनाडू राज्य द्वारा लागू की गई आरक्षण व्यवस्था को उचित मानते हुए अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों, व्हेटनरी कालेजों, आयुर्वेद महाविद्यालयों, कृषि महाविद्यालय, विज्ञान एवं विधि महाविद्यालयों, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों इत्यादि में प्रवेश के लिए 35 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की अनुशंसा करता है। विधि महाविद्यालयों में प्रवेश 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश अ.भा. वार कौंसिल के नियम के

मुताबिक नहीं मिल पाता है। अनु. जातियों एवं अनु. जन जातियों के छात्रों को प्रवेश हेतु 5% अंकों की छूट की व्यवस्था की गई है। आयोग यह सिफारिश करता है कि पिछड़े वर्गों के छात्रों को भी प्रवेश के लिए विधि महाविद्यालयों में 5% अंकों की छूट दी जाये।

इस प्रदेश में पिछड़े वर्गों की आबादी 48.08 प्रतिशत है। आरक्षण व्यवस्था पिछड़े व कमजोर वर्गों के लिए उनकी आबादी के अनुसार करने का सिद्धांत है। आबादी के अनुसार उनका आरक्षण 48 प्रतिशत होना उचित है। लेकिन मेडिकल कालेजों में शासन ने अनुसूचित जातियों को 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों को 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर रखा है। इसलिए यह आयोग पिछड़े वर्गों के लिए 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की अनुशंसा करता है। मध्य प्रदेश के 6 चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्तमान समय में 720 स्थान है। विवरण निम्न है :-

चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल संख्या	6
समस्त मेडिकल कालेजों में स्थानों की संख्या	720
अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित स्थान	108=15%
अनु. जन जातियों के लिए सुरक्षित स्थान	108= 15%
महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान	108=15%
केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद अभ्यार्थियों के लिए	= 3%
जम्मू एवं काश्मीर राज्य द्वारा नामजद अभ्यार्थियों की संख्या	3

आयोग के समक्ष, प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य, विभिन्न पिछड़े वर्गों एवं जातियों के व्यक्तियों के अभ्यावेदनों एवं भ्रमण के दौरान अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी व आयोग की व्यक्तिगत जानकारी से यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों एवं जातियों के समूहों के छात्रों की संख्या बहुत ही कम है। पिछड़े वर्गों की बहुत सी जातियों का प्रतिनिधित्व शून्य है और कई जातियों का नगण्य है।

आयोग यह अनुसंशा भी करता है कि खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती किए गए अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को उनके 35 प्रतिशत आरक्षण कोटा के साथ समायोजित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करते समय इसका ध्यान आवश्यक तौर से रखना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने "ए. पेरिया कड़प्पन बनाम तमिलनाडू राज्य" (ए.आई.आर. 1971 सु. को. 2303) के प्रकरण में विचार व्यक्त किया कि इस सिद्धांत के लिए प्रमाण है कि जातियों के आधार पर पिछड़े वर्गो का वर्गीकरण अनुच्छेद 15(4) के परिधि के भीतर है, यदि यह दर्शित किया जा सके कि वे जाति सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं। हमारे समक्ष और कोई सामग्री नहीं है जिसमें यह दर्शित होता हो कि उन पिछड़े वर्गों के लिए जिन पर हम विचार कर रहे हैं आरक्षण 15(4) के अनुसार नहीं है। फिर भी सरकार को इस आधार पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए कि एक बार जो वर्ग पिछड़ा वर्ग मान लिया जाय वह सदा-सदा के लिए पिछड़ा वर्ग बना रहे। इस प्रकार के दृष्टिकोण से आरक्षण का प्रयोजन ही विफल हो जायेगा, क्योंकि जब कोई वर्ग प्रगति के स्तर पर पहुंच जाता है तो उसकी भावी प्रगति के लिए प्रतियोगिता अनिवार्य हो जाती है। सरकार को चाहिए कि वह स्थानों के आरक्षण के प्रश्न का सदा पुनरीक्षण, पुनर्निर्धारण करती रहे और केवल उन्हीं वर्गो को आरक्षण दिया जाना चाहिए जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं।

मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों का सामाजिक व शैक्षणिक स्तर अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी निम्न है। इन वर्गों को वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यवसायिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था एक लम्बी अवधि तक जारी रखना पड़ेगी। तभी वह उन्नत वर्गों के समकक्ष पहुंच सकते हैं।

यह आयोग पिछड़े वर्गों के शिक्षण संस्थाओं में प्रदान किए जाने वाले आरक्षण की कोई सीमा निर्धारित करना उचित नहीं समझता लेकिन आरक्षण व्यवस्था को राज्य सरकार चाहे तो 50 वर्षों बाद पुनरीक्षित कर सकती है। तमिलनाडू राज्य में सौ वर्षो से आरक्षण व्यवस्था लागू है। वहां के वर्ग इन सौ वर्षों में भी उन्नत वर्गों के समकक्ष पूर्ण रूप से आने में सफल नहीं हो सके हैं। मध्य प्रदेश में तो यह आरक्षण व्यवस्था अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू नहीं थी। इसलिये यहां अभी काफी समय लग सकता है।